भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1988

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

राज्यीय राजमार्ग- 213 और 232 को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करना

1988. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यीय राजमार्गों (एसएच) को राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) में परिवर्तित करने के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हाँ, तो महाराष्ट्र में कितने राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में राज्यीय राजमार्ग-213 (डिगरस-पुसद) और राज्यीय राजमार्ग-232 (पुसद-उमरखेड़) को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के मानकों के अनुरूप उन्नत करने की भी कोई योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उक्त मार्गों के भौगोलिक, औद्योगिक और सामाजिक महत्व को देखते हुए इस निर्णय को प्राथमिकता देगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) महाराष्ट्र में राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के लिए समय-सीमा और बजट प्रावधान क्या हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च) राज्य राजमार्गों (एसएच) सहित राज्यीय सड़कों को समय-समय पर सुस्थापित व्यापक सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोषित किया जाता है, जिनमें शामिल हैं: -

i. निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानियों को राज्य की राजधानियों/ राज्य की परस्पर राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा विकास के लिए चिन्हित पत्तन, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों को परस्पर जोड़ने वाली सड़कें।

ii. पहाड़ी और अलग-थलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामरिक महत्व वाली सड़कें।

iii. मुख्य सड़कें जो यात्रा की दूरी को कम करने और पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल करने में सक्षम बनाती हैं।

iv. सड़कें जो पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के बड़े भूभागों से जुड़ने में मदद करती हैं।

v. प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ अनुरूप सड़कें।

सरकार को समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से राज्य की सड़कों, जिनमें राज्य राजमार्ग भी शामिल हैं, को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने/उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के व्यापक सिद्धांतों, संपर्कता की आवश्यकता, यातायात घनत्व, पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

वर्तमान में, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एसएच-213 (दिग्रस-पुसाद) और एसएच-232 (पुसाद-उमरखेड) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

राज्य राजमार्गों सहित राज्य सड़कों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

*****